न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

2019-00075 RAAJodhpur2019-44RTA223 Kamrudin etc Vs Bachchhukha etc

01. कमरूदीन पुत्र सदुखां
02. निजे खां उर्फ निजामदीन पुत्र सदुखां
03. नूरदीन पुत्र सदुखां
04. निहालदीन पुत्र सदुखां
05. हजूर खां पुत्र सदुखां
06. चांदखां पुत्र सुदखां
07. बसीर खां पुत्र सदुखां
08. हलीमा पत्नी सदुखां

सभी जातियान् मुसलमान, निवासीगण- इस्लाम नगर, चांचलवा, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

--- **अपीलाण्ट्स**

ब

न

म

1. बच्छुखां पुत्र इबुखां जाति मुसलमान, निवासी- गाजनवास बारवली, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
2. नत्थुखां पुत्र इबुखं के कायम मुकामः -'
   a. जहुखां पुत्र स्व. नत्थुखां
   b. कोजूखां पुत्र स्व. नत्थुखां
   c. जेती पत्नी स्व. नत्थुखां सभी जातियान् मुसलमान, निवासीगण- इस्लाम नगर चांचलवा, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
   d. भंवरी पुत्री नत्थुखां पत्नी इलमदीन जाति मुसलमान, निवासी- रावतसर, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
   e. ज़ुबेदा पुत्री नत्थुखां पत्नी बरकतखां जाति मुसलमान, निवासी- बुचेटी, तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर।
3. एमनखातुन पुत्री इबुखां पत्नी गनीखां मुसलमान, निवासी- राड़ो की ढाणी, झंवर, तहसील झंवर, जिला जोधपुर।
4. सायर पुत्री इबुखां पत्नी मेहरदीन, मुसलमान, निवासी- गाजनवास, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

5. बच्ची पुत्री इबुखां पत्नी फजलु खां मुसलमान, निवासी- राबड़ीय, तहसील झंवर, जिला जोधपुर।
6. फतेहखां पुत्र शेरु खां के कायम मुकामः -
   a. रिड़मल खां पुत्र स्व. फतेह खां
   b. इलियास खां पुत्र स्व. फतेह खां
   c. बरक्त खां पुत्र स्व. फतेह खां
   d. इकबाल खां पुत्र स्व. फतेह खां
   e. ऐमू पत्नी स्व. फतेह खां जातियान् मुसलमान, निवासीगण- इस्लामनगर, चांचलवा, तहसील बालसेर, जिला जोधपुर।
   f. हुरमी पुत्री स्व. फतेह खां पत्नी नबीबक्स मुसलमान, निवासी- देणोक, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर।
   g. न्सीबों पुत्री स्व. फतेह खां पत्नी समुखां मुसलमान, निवासी- चिराईयों की ढाणी, हिंगोला, तहसील झंवर, जिला जोधपुर।
   h. मरवत पुत्री स्व. फतेहखां पत्नी चांदखां मुसलमान, निवासी- राबड़ीया तहसील झंवर, जिला जोधपुर।
   i. हब्बी पुत्री स्व. फतेहखां पत्नी मोबीन खां मुसलमान, निवासी- तुलसी कॉलोनी, कबीर नगर, कायलाना चौराहा, सूरसागर, जोधपुर।
7. नसेखां पुत्र रजेखां के कायम मुकामः -'
   a. रफीक पुत्र स्व. नसेखां
   b. सलीम पुत्र स्व. नसेखा
   c. नबाबखां पुत्र स्व. नसेखा
   d. सोफा पत्नी स्व. नसेखा जातियान् मुसलमान, निवासी- गाजनवास, बावरली, तहसील बालसेर, जिला जोधपुर।
   e. दली पुत्री नसेखां पत्नी खाजुखां, मुसलमान, निवासी- घंटियाली, तहसील व जिला जोधपुर।
   f. इमरती पुत्री स्व. नसेखां पत्नी बुंदु खां मुसलमान, निवासी- रावतसर, तहसील बालसेर, जिला जोधपुर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

g. भुटकी पुत्री स्व. नसेखां पत्नी छोटू खा, मुसलमान, निवासी- रावतसर, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
h. मफी पुत्री नसेखां पत्नी नबाब खां मुसलमान, निवासी- रावतसर, तहसील बालसेर, जिला जोधपुर।
i. आसी पुत्री नसेखां पत्नी फिरोज खां मुसलमान निवासी- रावतसर, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

8. अते खां पुत्र भारखां उर्फ मीरखां मुसलमान, निवासी- गाजनवास, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर के कायम मुकामः -'
a. नूर खां पुत्र स्व. अते खां
b. अलाबक्स पुत्र स्व. अते खां
c. बच्चे खां पुत्र स्व. अते खां
d. शहाबुदीन पुत्र स्व. अते खां
e. मोहम्मद खां पुत्र स्व. अते खां
f. कालू पत्नी स्व. अते खां जातियान् मुसलमान, निवासी- गाजनवास, तहसील बालसेर, जिला जोधपुर।
g. मुन्नी पुत्री स्व. अते खां पत्नी सदीक खांह जाति मुसलमान, निवासी- घंटियाली, तहसील व जिला जोधपुर।
h. जवरी पुत्री स्व. अते खां पत्नी शकुर खां जाति मुसलमान, निवसील गाजनवास, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
i. बाई पुत्री स्व. अते खां पत्नी भूटेखां जाति मुसलमान, निवासी- इस्लाम नगर, चांचलवा, तहसील बालेसर।

9. ताज खां पुत्र भार खां उर्फ मीर खां जाति मुसलमान, निवासी- इस्लाम नगर, चांचलवा, तहसील बालेसर।
10. शकुर खां पुत्र रजे खां मुसलमान, निवासी- गाजनवास, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बालेसर, जिला जोधपुर।

--- रेस्पोडेण्ट्स

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश सहायक कलेक्टर शेरगढ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30 मार्च 2012 राजस्व वाद संख्या 72/2007 नत्थुखा व अन्य बनाम फतेह खा इत्यादि

--- 0 ---

उपस्थित -
श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता अपीलांट्स
रेस्पोडेंट्स एवं उनके अधिवक्ता बावजूद सूचना के अनुपस्थित।
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 11

नि र्ण य

दिनांक : 29 अक्टूबर, 2021

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शेरगढ द्वारा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30 मार्च 2012 राजस्व वाद संख्या 72/2007 नत्थुखां व अन्य बनाम फतेह खा इत्यादि के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 01 मई 2019 को पेश की गयी है।

अपीलांट द्वारा अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पेश कर अपील प्रस्तुति में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पो. संख्या एक ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 13.10.2009 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार शेरगढ को मौका कमिश्नर नियुक्त कर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विभाजन प्रस्ताव तलब किया। तहसीलदार शेरगढ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 30 मार्च 2012 का अंतिम निर्णय एवं डिक्री पारित कर दिया, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलाण्ड्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है। विचारण न्यायालय द्वारा की गई तमाम कार्यवाही एवं अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त करने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तमाम कार्यवाही एकतरफा अपीलार्थीगणों को वाद की सुनवाई का कोई नोटिस दिये बिना की गई है, अपीलार्थीगणों को विचारण न्यायालय से वाद की सुनवाई का कोई नोटिस कभी मिला ही नहीं जो वाद पत्रावली के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है। ऐसा लगता है कि विचारण न्यायालय ने निर्णय करने से पूर्व वाद पत्रावली को देखा तक नहीं। अपीलार्थीगणों को जब वाद की सुनवाई का कोई नोटिस मिला ही नही तो उनकी ओर से वाद में पैरवी हेतु किसी को वकील नियुक्त करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। पत्रावली में श्री डी.एस.भाटी की प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थिति दर्शायी हुई है, जबकि प्रतिवादीगण ने कभी भी श्री डी.एस. भाटी को अपना अधिवक्ता मुकर्रर नहीं किया था एवं न ही पत्रावली पर श्री डी.एस. भाटी का कोई वकालतनामा उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में श्री डी.एस. भाटी की उपस्थिति किस आधार पर दर्शायी गई है, यह समझ

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

से बाहर है। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से लगता है कि विचारण न्यायालय ने वाद में कोई शहादत दर्ज किये बिना ही जमाबंदी के हिस्से अनुसार विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी कर दी एवं तहसीलदार को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दे दिये गये। परन्तु तहसीलदार द्वारा तैयार किये गये कोई विभाजन प्रस्ताव पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने के बावजूद भी वाद में अंतिम डिक्री जारी कर दी गई। पत्रावली पर जो पटवारी द्वारा की गई रिपोर्ट उपलब्ध है वह रिपोर्ट भी अपीलार्थीगणों को बिना सूचित किये वादी के कहे अनुसार तैयार की गई है। पटवारी भी ऐसी रिपोर्ट करने हेतु कभी भी मौके पर नहीं आया तथा न कोई माप किया। तमाम कार्यवाही कार्यालय में बैठकर सम्पूर्ण कर दी गई तथा वहीं रिपोर्ट तहसीलदार ने उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित कर दी। विभाजन प्रस्ताव नियमानुसार केवल तहसीलदार द्वारा ही तैयार किये जा सकते है, वर्तमान मामले में तहसीलदार न तो कभी मौके पर आये एवं न कोई विभाजन प्रस्ताव तैयार किया। स्वयं विचारण न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री जारी करते समय तहसीलदार को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देश दिये थे, उन निर्देशों की तहसीलदार ने कोई पालना नहीं की। स्वयं अदालत मातहत ने भी यह देखा तक नहीं कि उनके निर्देशों की पालना हुई है अथवा नही। इस प्रकार इस मामले में पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की कोई एहमियत नहीं है एवं उस रिपोर्ट के आधार पर अंतिम डिक्री जारी ही नहीं की जा सकती थी। पटवारी ने रिपोर्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तैयार की है, वह नियम 18 से 21 के प्रावधानों के बिलकुल विपरीत है, एवं स्वयं तहसीलदार ने भी उस रिपोर्ट को उसी रूप में विचारण न्यायालय को भेजने से पूर्व कोई विचार नहीं किया। पटवारी ने रिपोर्ट तैयार करते समय संयुक्त जोत का रकबा 9 बीघा कम कर दिया, जबकि विभाजन की डिक्री को स्वयं वादी के 1/5 हिस्से तक सीमीत रखा, क्योंकि अन्य सहखातेदारान् के हिस्से का कोई विभाजन नहीं किया गया तो फिर इन परिस्थितियों में संयुक्त खाते की जोत का 9 बीघा रकबा रास्ते हेतु क्यों कम किया गया एवं वह रास्ता किस हिस्सेदार के लिए छोड़ा गया , इससे अपीलाधीन डिक्री व निर्णय अनियमितताओं का पिटारा है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के अवलोकन मात्र से लगता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रक्रियाओं की कोई पालना नहीं की, यहां तक की स्वयं वादी के बयान भी कलमबद्ध नहीं किये गये। इस प्रकार विचारण न्यायालय की तमाम कार्यवाही एवं अपीलाधीन निर्णय दूषित है। विचारण न्यायालय ने अंतिम डिक्री जारी करते समय मनमाने ढंग से रास्ता दर्शाकर संयुक्त जोत का रकबा कम कर दिया, अपीलार्थी निजाम खां की जहां पर ढाणिया बनी हुई है, उसके बीच में सें रास्ता दर्शा दिया गया। उल्लेखनीय है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 217 की कोई भी सीमा किसी सार्वजनिक रास्ते से जुड़ी हुई नहीं है। इन परिस्थितियों में मनमाने ढंग से रास्ते कायम करते हुए उक्त रास्ते के दोनो ओर वादी का हिस्सा बताकर डिक्री जारी कर दी गई जो बिलकुल मनमानी कार्वाही है। मूल वाद पत्र में वर्णित वादी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

संख्या एक व तीन तथा प्रतिवादी संख्या एक, दो व चार अपीलाधीन निर्णय के बाद फौत हो चुके है, इस कारण उनके वारिसान् को वाद में मृतकों के स्थान पर पक्षकार स्थापित किया गया है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया है। अपीलार्थीगणों को विचारण न्यायालय से वाद की सुनवाई का कोई नोटिस कभी भी नहीं मिला न उनके द्वारा कभी कोई सुनवाई का नोटिस प्राप्त किया गया। अपीलार्थी निजाम खां द्वारा सहकारी विभाग से अपने हिस्से पर ऋण लेने हेतु जमाबंदी व नक्शे की नकल दिनांक 22.04.2019 को ली गई तो अपीलार्थी की भूमि की तरमीम की हुई पाई व पटवारी के कहे अनुसार म्यूटेशन नं. 181 की नकल भी दिनांक 22.04.2019 को ही ली गई जो नामांतरकरण सहायक कलक्टर शेरगढ के निर्णय के आधार पर भरना बताया गया। तब दिनांक 23.04.2019 को उक्त निर्णय की नकल हेतु आवेदन किया गया जो नकल दिनांक 26.04.2019 को उपलब्ध करवाई गई, जिसे पढाने से ही अपीलार्थी को इसकी जानकारी हुई, इससे पहले कोई जानकारी नहीं थी। अतः प्रथम जानकारी से यह अपील अंदर म्याद पेश की जा रही है। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जाकर अपील अंदर म्याद शुमार फरमायी जावे तथा गुणावगुण पर अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30 मार्च 2012 को अपास्त फरमाया जावे तथा मामला अधीनस्थ न्यायालय को इन दिशा निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जावे एवं उन पर सभी पक्षों की सुनवाई करते हुए विभाजन प्रस्ताव की अंतिम डिक्री जारी की जावें।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

उपस्थित उभय पक्षकारान के अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील किये बिना उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया जाना पाया जाता है। इसलिए न्याय हित में अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम मय शपथ-पत्र में वर्णित तथ्यों पर विश्वास करते हुए अपील अपीलांट गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अंदर म्याद शुमार की जाती है।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार शेरगढ द्वारा स्वयं मौके पर जाकर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 18 सें 21 की पालना में उभय पक्ष की उपस्थिति में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं कर पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया गया है तथा उस पर मात्र तहसीलदार शेरगढ द्वारा हस्ताक्षर किये जाना पाया

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जाता है। **विभाजन प्रस्ताव में सामलाती रास्ते के रूप में 9 बीघा भूमि का रकबा कम किया गया जो विधिसम्मत नहीं है तथा छोड़ा गया रास्ता आगे किस खातेदार के खेत जक जाता है?** यह स्पष्ट नहीं किया गया। इन परिस्थितियों में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अदालत हाजा की राय में समर्थन किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शेरगढ द्वारा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30 मार्च 2012 राजस्व वाद संख्या 72/2007 नत्थुखां व अन्य बनाम फतेह खा इत्यादि को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मामले मे विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार स्वयं की मौके पर उपस्थिति में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 18 सें 21 की पालना में उभय पक्ष की उपस्थिति में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त अनुसार तैयार करवाकर उस पर उभय पक्ष को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधिसम्मत अंतिम डिक्री एवं निर्णय पारित करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/IX/2021

नखतदान बारहठ
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर